कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)

क्र.85 /दो–06–04/03 कटनी दिनांक 22-02-24

// आदेश //

कार्यालय कलेक्टर जिला कटनी के आदेश क्र.600/स्थापना/2024 कटनी दिनांक 16.01.2024 के माध्यम से कटनी जिले हेतु दिनांक 26 मार्च 2024 होली का दूसरा दिन, 20 अगस्त 2024 रक्षाबंधन का दूसरा दिन, 01 नवम्बर 2024 दीपावली के दूसरा दिन को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। उक्त अवकाशों में से दिनांक 26 मार्च 2024 तथा दिनांक 01 नवम्बर 2024 को वर्ष 2024 हेतु जिला न्यायपालिका में पूर्व से अवकाश घोषित है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा वर्ष 2024 हेतु जिला न्यायालयों हेतु घोषित अवकाश अधिसूचना की कंडिका क्र. 05 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में, कार्यालय कलेक्टर जिला कटनी के आदेश क्र.600/स्थापना/2024 कटनी दिनांक 16.01.2024 के माध्यम से कटनी जिले हेतु घोषित स्थानीय अवकाशों में से **रक्षाबंधन का दूसरा दिन (कजलिया) दिनांक 20 अगस्त 2024 दिन मंगलवार को न्यायिक जिला स्थापना कटनी (संपूर्ण न्यायिक जिला कटनी) में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।**

(धरमिन्दर सिंह राठौड)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी म.प्र.

पृ. क्र. 450 /दो–06–04/03 कटनी दिनांक 23-02-24

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय, माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर, माननीय महोदय के समक्ष रखे जाने हेतु प्रेषित।
2. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. न्यायिक अधिकारीगण समस्त जिला न्यायालय कटनी, कुटुम्ब न्यायालय कटनी, किशोर न्याय बोर्ड कटनी, बाह्य न्यायालय बरही, विजयराघवगढ़ और ढीमरखेड़ा की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ प्रेषित।
4. कलेक्टर जिला कटनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक जिला कटनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. जेल अधीक्षक जिला जेल कटनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. जिला अभियोजन कार्यालय कटनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. अध्यक्ष/सचिव जिला/तहसील अधिवक्ता संघ कटनी, बरही, विजयराघवगढ और ढीमरखेड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की ओर सर्वसंबंधित को इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रेषित किये जाने हेतु।
10. जिला नाजिर कटनी की नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
11. अन्य सर्वसंबधित।

(धरमिन्दर सिंह राठौड)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी म.प्र.